सत्यमेव जयते

# न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 40/2024 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/78), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

**उनवान**

1. राजू
2. सुरेन्द्र सिंह } पुत्रगण स्व0 रामस्वरूप जाति जाट नि0 ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर

–वादीगण

**बनाम**

1. बदन सिंह पुत्र खरग सिंह जाति जाट नि0 ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर(डीग)राज0
2. तहसीलदार तहसील जनूथर(भूमिधारी)प्रतिनिधि राज0 सरकार

– प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 48 व 88–89 आर.टी.एक्ट,

**निर्णय** दिनांकः 08.03.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37 किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 किस्म चा0दो0 का हिस्सा 1/4, वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर में स्थित है। वादी व प्रति0 संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है और आपस में चचेरे भाई है। प्रति0 संख्या 1 के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बरा 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37 किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 किस्म चा0दो0 का हिस्सा 1/4, वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर का था व वादीगण के पिता रामस्वरूप पुत्र तोता सिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 का हिस्सा 1/4 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर है। वादीगण व प्रति0 एक ही परिवार के सदस्य है और अपने अपने हिस्से की आराजी पर वादी व प्रति0 काबिज काश्त थे और वादीगण के पिता रामस्वरूप के द्वारा एक आपसी एक्सचेंज डीड विनिमय पत्र तहरीर व तस्दीक तहसील जनूथर में दिनांक 29.07.2015 को कराया गया और वादीगण के पिता रामस्वरूप द्वारा अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर जो वादीगण के पिता रामस्वरूप की अन्य आराजी से काफी दूर थी और वादीगण के पिता रामस्वरूप को काश्त करने में काफी असुविधा होती थी तो वादीगण के पिता रामस्वरूप द्वारा अपनी खातेदारी की उक्त आराजी का एक विनिमय पत्र प्रति0 संख्या 1 बदन सिंह के हक में तहरीर व तस्दीक कराया गया और वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता रामस्वरूप पुत्र तोता सिह द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर हि0 1/4 का प्रति0 बदन सिंह के हक में तहरीर व तस्दीक दिनांक 29.07.2015 को कराया गया। आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर हि0

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1/4 पर वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता रामस्वरूप द्वारा दखल व कब्जा मौके पर प्रति0 को दे दिया और तभी से प्रति0 मुताविक विनिमय पत्र दिनांक 29.07.2015 के अनुसार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर प्रति0 आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 का हि0 1/4 वाके ग्राम जनूथर पर काबिज काश्त है और बिना किसी रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। प्रति0 बदन सिंह का आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बरान 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37 किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर का हि0 1/4 पर कोई कब्जा काश्त किसी का नहीं है। राजस्व रिकार्ड में आज भी प्रति0 के नाम गलत रूप से दर्ज किया जा रहा है जबकि मुत0 खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बरान का हि0 1/4 पर वादीगण मुताविक विनिमय पत्र के अनुसार काबिज काश्त है। वादीगण के पिता रामस्वरूप पुत्र तोता सिंह व प्रति0 संख्या 1 द्वारा एक रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीड तहसील जनूथर में पंजीबद्व कराई गई थी जिस पर वादीगण के पिता व प्रति0 द्वारा अपने अपने फोटो चस्पा किये व गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये और मौके पर मुताविक एक्सचेंज डीड दिनांक 29.07.2015 के बाद वादीगण के पिता द्वारा अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर से हि0 1/4 से अपने समस्त अधिकार तर्क कर दिये व इसी प्रकार प्रति0 संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37, किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 वाके ग्राम दांतलौठी का हि0 1/4 पर वादीगण काबिज काश्त है व प्रति0 संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 359/1.23, वाके ग्राम जनूथर का हि0 1/4 पर काबिज काश्त है पिता रामस्वरूप की मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त है और वादीगण आराजी खसरा नम्बरान 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37, किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 वाके ग्राम दांतलौठी के हि0 1/4 पर काबिज काश्त है और इसी प्रकार मौके पर वादीगण व प्रति0 संख्या 1 मुताविक एक्सचेंज डीड अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बरान 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37, किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 वाके ग्राम दांतलौठी पर प्रति0 संख्या 1 का नाम गलत रूप से दर्ज किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि में आराजी खसरा नम्बरान 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37, किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 किस्म वा0प्र0 वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर का हि0 1/4 पर वादीगण व हिस्सा बरावर वाहैसियत खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में जो इन्द्राज प्रति0 संख्या 1 के नाम दर्ज हो रहा है को कलमजन किया जाकर वादी को उक्त आराजी के हि0 1/4 पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज फरमाया जावे।

**दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर** प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.08.2024 को उभय पक्ष की ओर से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में वर्णित है कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 348/0.35, 351/0.37, 352/0.37 वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर का हि0 1/4 जो प्रति0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका प्रति0 बदन सिंह ने वादीगण के पिता रामस्वरूप के पक्ष में विनिमय पत्र दिनांक 29.07.2015 को पजीबद्व करादी जिस पर पूर्व में वादीगण के

...खण्ड अधिकारी
...ग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पिता काबिज चले आ रहे है दावा वादीगण डिक्री किये जाने में प्रति0 को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी अन्तर्गत धारा 48,88,89 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 28.08.2024 के आधार पर दावा वादी को डिक्री किया जाना उचित समझते है।

**अतः आदेश है किः—**

वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य/मुताविक राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 28.08.2024 से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 28.08.2024 निर्णय व डिक्री का जुज/भाग रहेगा। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.